न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 33/2013 G.C.M.S. No. 2013/00124 दर्ज दिनांक : 24.06.2013

अपीलार्थीः

1. डोली बनाम कंवरनाथ चेला देवनाथ कौम आयस, साकिन वोपारी, तहसील मारवाड़ जंक्शन जिला पाली जरिये पुजारी उपासक एवं अनन्य भक्त आयस दिनानाथ चेला चतरनाथ, जाति नाथ निवासी वोपारी, तहसील मारवाड़ जंक्शन जिला पाली।

प्रत्यर्थिगणः **बनाम**

1. नरेश कुमार पुत्र अगरचंद
2. रमेश कुमार पुत्र अगरचंद
3. पिस्तादेवी बेवा अगरचंद
4. चन्द्रादेवी पुत्री अगरचंद, तमाम जातिगण महाजन, निवासी आउवा हाल निवासी नंबर 01, आर.सी. मार्केट, शेट्टी लेन, एवेन्यू रोड़ क्रॉस, बैंगलोर।
5. हिम्मताराम पुत्र चिमनाराम
6. लच्छाराम पुत्र चिमनाराम
7. बस्तीराम पुत्र चिमनाराम
8. घीसीबाई बेवा चिमनाराम, तमाम जातिगण मेघवाल, निवासीगण आउवा, तहसील मारवाड़ जंक्शन, जिला पाली।
9. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार, मारवाड़ जंक्शन, तहसील मारवाड़ जंक्शन, जिला पाली।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर मारवाड़ जंक्शन द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 294/2011 बअनवान डोली बनाम कंवरनाथ बनाम नरेश कुमार वगैरह में पारित आदेश दिनांक 31.05.2013

पैरोकार—

1. श्री अशोक अरोड़ा, श्री खुशवंत सांखला, विद्वान अभिभाषक अपीलांट।
2. श्री सुमेरसिंह राजपुरोहित, श्री राजेन्द्रसिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट संख्या 1 से 4
3. शेष रेस्पोंडेंट्स अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांकः 24.10.2025

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलक्टर मारवाड़ जंक्शन द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 294/2011 बअनवान डोली बनाम कंवरनाथ बनाम नरेश कुमार वगैरह में पारित आदेश दिनांक 31.05.2013 के विरूद्ध पेश की गई। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है—

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

यह कि अपीलांट (प्रार्थी) ने मातहत अदालत में रेस्पॉडेन्टस (अप्रार्थीगण) के विरूद्ध एक वाद वास्ते स्थाई निषेधाज्ञा एवं घोषणा का एवं साथ में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सपठित आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. का इस आशय का प्रस्तुत किया कि सरहद मौजा ग्राम आउवा में खसरा नम्बर 2163 से 2166 भूमि स्थित है जो संवत 2010 से 2019 के बीच की अवधि में आसन डोलीदास डोली बनाम कंवरनाथ के रूप में दर्ज थीं, अर्थात काश्त डोली का ही था। उसके हक–हकूक अधिकार किसी भी रूप में विक्रय हस्तान्तरण योग्य नहीं हैं। सन 1952 में जागीर रिजम्शन एक्ट आया, उस अनुसार भी खातेदारी अधिकार विधिक रूप से डोलीदार के ही थें और विधिक रूप से उन्हें ही प्राप्त हुये थें, लेकिन राजस्व रेकॉर्ड में बिना किसी दस्तावेज के फर्जी रूप से अप्रार्थीगण रेस्पोंडेन्ट के नाम दर्ज हो गये। जिनका नाम हटाकर प्रार्थी का नाम दर्ज किये जाने का अनुतोष चाहा था, जिसका रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 से 2 व 4 के आम मुख्तियार की ओर से जवाब प्रस्तुत कर यह कथन किया गया कि खतौनी बन्दोबस्त संवत 2010 से 2019 के कॉलम नम्बर 3 में धनराज का नाम दर्ज है। खुद काश्त दर्ज नहीं है। इस कारण अपीलार्थी प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे। तत्पश्चात दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करते हुए प्रार्थी अपीलार्थी का स्थगन प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर दिया। जिससे व्यथित होकर अपीलांट द्वारा उक्त अपील प्रस्तुत की जा रही हैं कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष स्थगन प्रार्थना पत्र का निस्तारण होना था, उस हेतु विधि अनुसार योग्य अधीनस्थ न्यायालय को प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति के तीनों बिन्दु का अलग–अलग निर्धारण करना आज्ञापक था, जो योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं किया गया है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करने का आधार केवल मात्र यह बनाया कि खतौनी बन्दोबस्त संवत 2010 से 2019 के कॉलम नम्बर 3 में धनराज वल्द राजमल वगैरह का नाम दर्ज है न कि खुद काश्त एवं इसी को आधार बनाकर योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो तथ्यों व विधि के विरूद्ध है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने यह ज्ञात करने व देखने का प्रयास ही नहीं किया कि कॉलम नम्बर 3 में धनराज का नाम किस रूप में दर्ज है। कॉलम नम्बर 3 का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि कॉलम नम्बर 3 में धनराज का नाम खुद काश्त के रूप में दर्ज नहीं हैं। अपितु उसे सालाना 50 रूपये बिल मुकाता काश्त के रूप में दर्ज है। जिस पर योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने कोई गौर नहीं किया। धनराज का नाम जिस दस्तावेज के आधार

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

पर कॉलम नम्बर 3 में दर्ज होना बताया गया, ऐसा कोई दस्तावेज सरकारी रेकॉर्ड में उपलब्ध नहीं था। ऐसा कोई दस्तावेज योग्य अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत तक नहीं हुआ। अपीलार्थी का योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कथन था कि रेस्पोंडेन्ट के नाम राजस्व रेकॉर्ड में कूटरचित फर्जी शून्य दस्तावेजों के आधार पर दर्ज है। जिस तथ्य पर भी योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वार कोई गौर नहीं किया गया। योग्य अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थी का स्पष्ट रूप से कथन था कि मौके पर कब्जा काश्त आज भी अपीलार्थी का है। वर्तमान में भी अपीलार्थी की गवार की फसल खड़ी हैं एवं रेस्पोंडेन्ट का कभी भी किसी भी रूप में कब्जा नहीं रहा है। मौके पर अपीलार्थी का बोर्ड इत्यादि भी लगा हुआ है। इन तथ्यों पर भी योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने कोई गौर नहीं किया। इसके अतिरिक्त योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने खतौनी बन्दोबस्ती संवत 2010 से 2019 के कॉलम नम्बर 3 में धनराज का नाम होने मात्र से यह तय कर दिया कि प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थीगण रेस्पोंडेन्ट के पक्ष में हैं, जबकि वास्तव में प्रथम दृष्टया मामला अपीलार्थी प्रार्थी के पक्ष में था। योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रथम दृष्टया मामला का अर्थ समझने में असफल रहे। जबकि योग्य अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह स्पष्ट रूप से था कि वादग्रस्त भूमि डोली की हैं एवं मौके पर कब्जा अपीलार्थी का है एवं राजस्व रेकॉर्ड में जिस दस्तावेज के आधार पर रेस्पोंडेन्ट का नाम होना बताया जाता है, ऐसा कोई दस्तावेज सरकारी रेकॉर्ड में है ही नहीं एवं डोली की जमीन किसी को हस्तान्तरित नहीं हो सकती। इस रूप में इन इन परिस्थितियों में स्पष्ट रूप से प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी अपीलार्थी के पक्ष में था, जिसे नहीं मानने का कोई कारण व आधार नहीं था। विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि अस्थाई निषेद्याज्ञा प्रार्थना पत्र का निस्तारण अस्थाई निषेद्याज्ञा के प्रार्थना पत्र के रूप में ही किया जायेगा न कि उसका निस्तारण मूल वाद के निस्तारण की तरह कर दिया जायेगा। योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने विधि के इस सुस्थापित सिद्धान्त पर भी कोई गौर नहीं किया एवं अस्थाई निषेद्याज्ञा प्रार्थना पत्र का निस्तारण इस रूप में कर दिया मानो वाद का ही निस्तारण किया जा रहा हो। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि में प्रदत्त प्रावधानों की पूर्ण रूप से अवहेलना करते हुए उक्त आदेश पारित किया गया है। जोकि सर्वथा निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील आदेश अपास्त फरमावें।

अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट्स व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

Scanned with OKEN Scanner

हमनें विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी एवं उस पर मनन किया तथा पत्रावली एवं संगत विधिक प्रावधानों का अवलोकन किया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन एवं निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थी अपीलांट द्वारा वादग्रस्त आराजीयात के संबंध में रेस्पोंडेंट के विरूद्ध खातेदारी अधिकारों की घोषणा के वादपत्र के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश द्वारा अस्वीकार किया गया। जिसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील अंदर म्याद प्रस्तुत की गई।
2. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट प्रार्थी द्वारा स्वयं को डोली बनाम कंवरनाथ, चेला देवनाथ का पुजारी व उपासक अंकित करते हुए अधीनस्थ न्यायालय में वादग्रस्त आराजी के संबंध में खातेदारी अधिकारों की घोषणा व अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत प्रार्थना पत्र व हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई। लेकिन अपीलांट प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है, जिससे यह स्पष्ट हों कि वह डोली बनाम कंवरनाथ का पुजारी व उपासक हों। यह भी उल्लेखनीय है कि भूप्रबंध खतौनी में भूमि डोली बनाम कंवरनाथ अंकित है तथा खतौनी के कॉलम संख्या 3 में उक्त आराजी खुद काश्त नहीं होकर काश्तकारान के नाम अंकित है। अतः स्पष्ट है कि डोली बनाम कंवरनाथ कोई शाश्वत नाबालिग मूर्ति/मंदिर/देव आदि होना स्पष्ट नहीं होता है तथा वादग्रस्त आराजीयात अपीलांट की खुद काश्त आराजी नहीं हैं। वादग्रस्त आराजीयात भूप्रबंध पूर्व से अप्रार्थीगण के नाम बतौर काश्तकार दर्ज है। अतः प्रथमदृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थी अपीलांट के पक्ष में साबित नहीं होता है एवं अप्रार्थीगण अभिलिखित खातेदार होने व भूप्रबंध पूर्व से उपयोग–उपभोग में होने से यदि इन्हें अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है तो अप्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति संभव है न कि प्रार्थी अपीलांट को।
3. अतः हमारे विनम्र मत में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश द्वारा प्रार्थी का अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना अस्वीकार करने में कोई विधिक त्रुटि कारित नहीं की हैं। अतः अपील अपीलांट बखूबी साबित नहीं होने से खारिज किया जाना पूर्णतया विधिसम्मत व उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित नहीं होने व सारहीन होने से अस्वीकार की जाती हैं।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक **24.10.2025** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुहर के सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

Scanned with OKEN Scanner